



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229256
CG-DL-E-26082021-229256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3216]
No. 3216]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2021/भाद्र 4, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2021/BHADRA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

का.आ. 3506(अ).—चूंकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना [संख्या: का.आ. 4529 (ई) दिनांक 18 दिसंबर, 2019 तथा का.आ. 276 (ई) दिनांक: 14 फरवरी, 2012] द्वारा पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 के खरार-समराला चौक-एमसी लिमिट सेक्शन के 0.000 कि.मी. से 92.000 कि.मी., एनएच-21 के चंडीगढ़ से कुराली सेक्शन के 0.870 कि.मी. से 1.680 कि.मी. तथा 6.800 कि.मी. से 28.600 कि.मी. तथा 15.275 कि.मी. के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात “उक्त नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1012(ई) दिनांक: 06.03.2020 का अधिक्रमण करते हुए, पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 तथा एनएच संख्या 21 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी 86.199 तथा एनएच-21 (रूपनगर की ओर) के 0.445 कि.मी. तक के भाग के चंडीगढ़ लुधियाना खंड के पेव्डशोल्डर सहित दो लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 0.700 कि.मी (जिनकी लंबाई 0.070 किमी है) लंबाई की समकक्ष बुनियादी ढांचा (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए सारणी-1 के स्तम्भ (1) में दिए यांत्रिक वाहनो पर स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% की दर से और चार लेन और अधिक लेन के खंड के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 72.611 कि.मी. और 66.13 किमी (जिनकी लंबाई 6.613 किमी है) लंबाई की समकक्ष बुनियादी ढांचा (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) में आधार दर के 100% की दर से तथा बाइपास जिनकी निवल लंबाई 7.350 कि.मी. और लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग हेतु आधार दर के 150% की दर से सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर एतद्वारा शुल्क की उगाही करती है तथा प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा ठेकेदार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

1. नीचे लिए जाने वाला एवं संग्रहित किए जाने वाला शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
पंजाब राज्य के एनएच-05 (पुराना एनएच-95) के एसएस नगर जिले में भगोमाजरा गांव के निकट 12.070 डिजाइन कि.मी. पर	34.657 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर]	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
पंजाब राज्य में लुधियाना जिले के गुलाल गांव के निकट एनएच-05 (पुराना एनएच-95) के 60.000 डिजाइन कि.मी. पर	37.954 [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर]	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल	72.611	

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा:-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (जरीब-दूरी)	बाईपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ में)	
पंजाब राज्य के एनएच- 05 (पुराना एनएच -95) के एसएस नगर जिले में भगोमाजरा गांव के निकट 12.070 डिजाइन कि. मी. पर			शून्य			

पंजाब राज्य में एनएच-05 (पुराना एनएच-95) के लुधियाना जिले में गुलाल गांव के निकट 60.000 डिजाइन कि.मी. पर	समराला बाईपास	डिजाइन कि.मी 50.650	डिजाइन कि.मी 58.000	7.350	116.380	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
--	---------------	------------------------	------------------------	-------	---------	---

3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (डिजाइन जरीब-दूरी)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई* (किमी में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (किमी)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
पंजाब राज्य के एनएच-05 (पुराना एनएच-95) के एसएस नगर जिले में भगोमाजरा गांव के निकट 12.070 डिजाइन कि.मी. पर	4.153 [^]	41.53	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%
	0.070 ^{^^}	0.700	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
पंजाब राज्य में एनएच-05 (पुराना एनएच-95) के लुधियाना जिले में गुलाल गांव के निकट 60.000 डिजाइन कि.मी. पर	2.46 ^{^^}	24.600	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

[^]60 मीटर से अधिक की लंबाई की बुनियादी ढांचाओं का विवरण निम्नानुसार है;

क्र.सं.	(जरीब-दूरी)		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	5.980	9.180	ऊंची राजमार्ग बुनियादी ढांचा	3.200
2	2.467	2.573	बड़ा पुल	0.106
3.	21.646	22.074	आरओबी	0.428
4.	24.031	24.290	आरओबी	0.259
5.	29.140	29.300	बड़ा पुल	0.160
कुल				4.153

^^ विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	(जरीब-दूरी)		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1.	9.615	9.685	दो लेन ग्रेड सेपरेटर बुनियादी ढांचा	0.070
कुल				0.070

^^^ विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	(जरीब-दूरी)		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी.)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	62.800	63.060	बड़ा पुल	0.26
2	38.435	40.635	फ्लाईओवर	2.20
कुल				2.46

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/- रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

तालिका-5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप-नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3270.06 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/17055/1/2015/पीबी/टॉलनोटिफिकेशन]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2021

S.O. 3506(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [number S.O. 4529 (E) dated 18th December, 2019 and S.O.276 (E) dated 14th February 2012], issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kharar-Samrala Chowk-MC Limit section from km 0.000 to km 92.000 of National Highway Number 95, Chandigarh to Kurali section from km 0.870 to km 1.680 and from km 6.800 to km 28.600 and 15.275 km of NH-21 respectively in the state of Punjab and Union Territory of Chandigarh to National Highways Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “said Rules”) and in supersession of the notification published vide S.O. 1012(E) dated 06.03.2020, the Central Government hereby levies the fee on the type of mechanical vehicles in column (1) at the rate specified in column (2) of the Table 1 at 60% of the base rate for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.700 km (having length of 0.070 km) for the use of two lane with paved shoulder section and 100% of the base rate for net road section length of 72.611 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 66.13 km (having length of 6.613 km) and at 150% of base rate for bypass having length of 7.350 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four and more lane section of Chandigarh Ludhiana section from design kilometer 0.000 to kilometer 86.199 of National Highway number 95 and NH Number 21 and 0.445 km part of NH 21 (towards Rupnagar) in the State of Punjab and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At design Km.12.070 of NH-05 (old NH-95) near village Bhago Majra in SAS Nagar district of State of Punjab	34.657 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At design km 60.000 of NH-05 (old NH-95) near village Ghulal in Ludhiana District of State of Punjab	37.954 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
TOTAL	72.611	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) : -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in km)	Cost (in crores)	
At design Km.12.070 of NH-05 (old NH-95) near village BhagoMajra in SAS Nagar district of State of Punjab	NIL					
At design km 60.000 of NH-05 (old NH-95) near village Ghulal in Ludhiana District of State of Punjab	Samrala Bypass	Design Km 50.650	Design Km 58.000	7.350	116.380	150% for four and above lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-4			
Location of Fee Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 12.070 design chainage of NH-05 (Old NH-95) near village Bhago majra in SAS Nagar district of Punjab	4.153 [^]	41.53	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.070 ^{^^}	0.700	60% for two lane/two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 60.000 design chainage of NH-05 (Old NH-95) near village Ghulal in Ludhiana district of Punjab	2.46 ^{^^}	24.600	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures more than 60m length are as under:

S. No.	Chainage from Km	Chainage To Km	Type of structure	Length (in Km)
1.	5.980	9.180	Elevated Highway structure	3.200
2.	2.467	2.573	Major Bridge	0.106
3.	21.646	22.074	ROB	0.428
4.	24.031	24.290	ROB	0.259
5.	29.140	29.300	Major Bridge	0.160
			Total	4.153

^^ The details are as under:-

S.No.	Chainage from Km	Chainage To km	Type of Structure	Length (in Km)
1.	9.615	9.685	2 lane Grade separated structure	0.070
			Total	0.070

^^^ The details are as under:-

S.No.	Chainage from Km	Chainage To Km	Type of structure	Length (in Km)
1.	62.800	63.060	Major Bridge	0.26
2.	38.435	40.635	Flyover	2.20
			Total	2.46

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 3270.06 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/17055/1/2015/PB/tollnotification]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.